

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान  
पीठासीन अधिकारी :- रामसिंह राजावत (R.A.S.)

दावा सख्या  
116/2019

रजू दिनांक  
21.05.2019

अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक  
15.01.2021

उनवान

1. दलीप कुमार पुत्र खेमचन्द्र जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
2. फुलसिंह पुत्र खेमचन्द्र जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

\_\_\_\_\_वादी

बनाम

1. राजेन्द्र
2. लालसिंह पुत्रान गणपत जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
3. चमेली पत्नी रामेश्वर जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
4. अनिल कुमार
5. धीरज कुमार पुत्रान रामेश्वर जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
6. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
7. श्रीमान उप पंजीयक महोदय मुण्डावर जिला अलवर राज0।
8. पंजाब नेशनल बैंक शाखा जाट बहरोड तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... प्रतिवादीगण

9. रघुवीर सिंह
10. धर्मचन्द्र पुत्रान खेमचन्द्र जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
11. फूलवती
12. राधा पुत्रीयान खेमचन्द्र जाति अहीर निवासी मुण्डनवाडा कलां तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।

..... तर0 प्रतिवादी

दावा- तकासमा आराजी बम्य हु0 ई0 दवामी

-: अन्तिम पर्चा डिक्री :-

वादी की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से श्री पृथ्वीसिंह यादव एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 15.01.2021 को रामसिंह राजावत, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है:-

"तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम भोजपुरी तहसील मुण्डावर, जिला अलवर में स्थित भूमि आराजी हाल खंन0 317/0.83 है0, 358/1.00 है0, 369/0.96 है0, 375/0.44 है0, 376/0.37 है0, 377/0.25 है0, 378 रकबा 0.68 है0, 379 रकबा 0.24 है0, 380 रकबा 0.67 है0, 421/389/0.06 है0, 423/390/0.10 है0 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुरेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न

42  
उपखण्ड अधिकारी  
मुण्डावर (अलवर) राज0



अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/ कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरुद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।”

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.01.2021 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

२५६-१५११२  
(रामसिंह सजावत)  
उपमुख्याधिकारी  
मुण्डावर जिला अलवर राज०  
मुण्डावर (अलवर) राज०